

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-217 / 2012
संस्थित दिनांक-26.06.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

मलखान पुत्र इमरत परिहार उम्र 28 साल,
निवासी ग्राम गोराकला हाल निवासी मातागढ़ मोहल्ला,
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 26.03.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा-25 (1) (1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 12.06.2012 को समय 22:10 बजे नया बस स्टेण्ड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे की धारदार धारियां को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा-04 आयुद्ध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2012 को सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद बाजपेयी दोराने कस्बा गश्त चंदेरी में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नया बस स्टेण्ड में एक व्यक्ति लोहे की धारदार धारिया लिये घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु प्रधान आरक्षक आर. आर. खलको एवं आरक्षक सुरेश कुमार एवं पंचान को साथ लेकर बस स्टेण्ड पहुंचा, तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागा, उसे प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक एवं पंचान की मदद से पकड़ा और नाम पता पूछा, तो उसने अपना नाम मलखान पुत्र इमरत निवासी गोराकला हाल निवासी मातामढ़ मोहल्ला होना बताया, उसके दाहिने हाथ में लोहे का धारदार धारिया था, उससे रखने के संबंध में लाईसेंस मांगा, तो न होना बताया, मौके पर जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। पुलिस थाना चंदेरी में वापसी कर अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद बाजपेयी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-202/2012 अंतर्गत धारा-25 (1) (1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.06.2012 को समय 22:10 बजे नया बस स्टेण्ड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे की धारदार धारियां को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा-04 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में साक्षी प्रवीण साहू (अ0सा0-01), अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक रूस्तम खलकों (अ0सा0-02) सहित जप्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद बाजपेयी (अ0सा0-03) के कथन न्यायालय में कराये गये। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद बाजपेयी (अ0सा0-03) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 12.06.2012 को आर. आर. खलको (अ0सा0-02) एवं आरक्षक सुरेश योगी के साथ इलाका भ्रमण के लिये गया था। इलाका भ्रमण के दौरान उसके द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत मोटरसाईकिल के संबंध में चालानी कार्यवाही की गई थी तथा उसकी दौरान उसे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नये बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति धारदार धारिया लिये वारदार करने की नियत से घूम रहा है।
- 07- सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद बाजपेयी (अ0सा0-03) का कहना है कि सूचना की तस्दीक हेतु वह हमराह आरक्षक व प्रधान आरक्षक खलको (अ0सा0-02) सहित राहगीर सतपाल एवं प्रवीण साहू (अ0सा0-01) के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था, जहां एक व्यक्ति जब पुलिस को देखकर भागा तो उसे घेर कर पकड़ने पर उसका नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम मलखान निवासी चंदेरी होना बताया था। फूलचंद बाजपेयी (अ0सा0-03) का कहना है कि अभियुक्त मलखान हाथ में धारिया लिये हुआ था जिसे रखने के संबंध में लाईसेंस पूछे जाने पर लाईसेंस न होने पर मौके पर ही साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से धारिया जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था। फूलचंद बाजपेयी (अ0सा0-03) ने अपने कथनों में जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-02 मौके पर ही तैयार किया जाना बताया है तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने की भी पुष्टि की है।

- 08— फूलचंद वाजपेयी (अ0सा0-03) के न्यायालीन कथन के अनुसार उपरोक्त कार्यवाही में उसके साथ प्रधान आरक्षक रूस्तम खलको (अ0सा0-02) व आरक्षक सुरेश योगी साथ में था, वहीं जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही से पूर्व मुखबिर द्वारा दी गई सूचना की तस्दीक के लिये रवाना होने से पूर्व उसके द्वारा साक्षी सतपाल व प्रवीण साहू (अ0सा0-01) को अपने साथ ले गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से आरक्षक सुरेश योगी जो कि घटना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, उसे प्रकरण में अपने समर्थन में कथन देने के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया, वहीं साक्षी सतपाल जिसे अभियोजन की ओर से प्रकरण में साक्षी बनाया गया है को अभियोजन साक्ष्य देने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत करने में उसका पता न चल पाने के कारण असफल रहा है।
- 09— फूलचंद वाजपेयी (अ0सा0-03) के द्वारा की गई कार्यवाही के समय अभियोजन कहानी के अनुसार प्रधान आरक्षक रूस्तम खलको (अ0सा0-02) व साक्षी प्रवीण साहू (अ0सा0-01) भी मौके पर थे, जिनके कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये। प्रवीण साहू (अ0सा0-01) जो कि जप्ती एवं गिरफ्तारी का साक्षी हैं, ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। प्रवीण साहू (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालीन कथनों में जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-02 पर अपने हस्ताक्षर होने से ही इन्कार किया है तथा इस साक्षी का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कहना है कि न तो वह अभियुक्त को जानता है, न ही पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कोई चीज जप्त की और न ही उसे गिरफ्तार किया। यह साक्षी पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ करने एवं पुलिस को बयान देने से भी इन्कार करता है।
- 10— प्रवीण साहू (अ0सा0-01) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु किये गये परीक्षण से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में पुलिस को प्रदर्श-पी-03 के कथन देने तक से इन्कार करता है तथा अपने सामने अभियुक्त के संबंध में पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना बताता है। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तत्कालीन प्रधान आरक्षक रूस्तम खलको (अ0सा0-02) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिये। यह साक्षी मात्र प्रकरण में की गई विवेचना के संबंध में न्यायालय में कथन देता है तथा फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) ने मौके पर अभियुक्त मलखान के संबंध में क्या कार्यवाही की इस संबंध में इस साक्षी के संपूर्ण न्यायालीन कथन मौन है।
- 11— अतः घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं मौके पर फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा की गई कथित जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर मात्र सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के न्यायालीन कथन अभिलेख पर है, जिसके आधार पर अभियोजन घटना की सत्यता की जांच की जानी है। विधि के द्वारा यह सुस्थापित है एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 के प्रावधान के अनुसार किसी घ

टना को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य को गुणवत्ता देखी जाती है तथा किसी भी घटना को प्रमाणित पाने के लिये एकल साक्ष्य की साक्ष्य ही पर्याप्त हो सकती है, फिर चाहे वह साक्षी पुलिसकर्मी ही क्यों न हो।

- 12— अभियोजन की घटना की सत्यता के जांच के लिये सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों के आधार पर की गई कार्यवाही की सूक्ष्मता से जांच की जाना आवश्यक है। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई के द्वारा तैयार किये गये पत्रक प्रदर्श-पी-01 व 02 एवं प्रकरण में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-05, उनमें उल्लेखित कार्यवाही का अपने आप में निश्चायक प्रमाण नहीं हैं, बल्कि उक्त दस्तावेजों में उल्लेखित कार्यवाही को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये मात्र सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर है।
- 13— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा घटना का दिनांक-12.06.2012 का होना बताया है तथा इस साक्षी के अनुसार उस उक्त दिनांक को वह इलाका भ्रमण गश्त हेतु गया था, जहां उसने मोटरसाईकिल की चालानी कार्यवाही की थी और इसी दौरान उसे मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नये बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति धारदार धरिया धरित किये वारदात करने की नियत से घूम रहा है। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा अपने कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिनांक 12.06.2012 को उसके द्वारा थाने से कब रवानगी डाली गई थी कितने बजे और किस स्थान पर उसके द्वारा चालानी कार्यवाही की गई तथा किस स्थान पर और कितने बजे उसे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी।
- 14— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) का कहना है कि मुखबिर के द्वारा उसे यह सूचना दी गई थी कि अभियुक्त नये बस स्टेण्ड पर धरिया लिये खड़ा है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि नया बस स्टेण्ड बहुत बड़ा क्षेत्र हैं। नये बस स्टेण्ड पर किस स्थान पर अभियुक्त के खड़े होने की सूचना मुखबिर के द्वारा दी गई तथा वास्तव में मौके पर अभियुक्त बस स्टेण्ड पर किस स्थान पर मिला था और किस स्थान पर अभियुक्त से जप्ती व उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) स्वयं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में यह स्वीकार करता है कि वह प्रकरण देखकर भी नहीं बता सकता है कि नये बस स्टेण्ड पर जप्ती और गिरफ्तारी का स्थान कहा पर है।
- 15— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सूचना मिलने के कितने दिन बाद व कितने बजे अभियुक्त से धरिया जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा उसे साक्षी सतपाल व प्रवीण साहू (अ0सा0-01) कहा मिले गये थे। साक्षी सतपाल को अभियोजन अपने समर्थन में कथन देने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, वहीं प्रवीण साहू के द्वारा अभियोजन का

समर्थन तक न्यायालय में नहीं किया गया। प्रवीण साहू (अ0सा0-01) प्रतिपरीक्षण में स्वयं स्वीकार करता है कि वह नगर रक्षा समिति में कैप्टन रहा है। जो निश्चित रूप से यह दर्शित करता है कि यह साक्षी पुलिस को ही साक्षी है। अतः मौके पर स्वतंत्र साक्षियों को जप्ती व गिरफ्तारी का गवाह न बनाते हुये, प्रवीण साहू (अ0सा0-01) को साक्षी क्यों बनाया गया, इसका कोई युक्ति-युक्त कारण सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) ने अपने कथनों में नहीं दर्शाया।

- 16- सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि नये बस स्टेण्ड पर बहुत सारी दुकानें हैं तथा भीड़ वाला क्षेत्र है, जप्ती के समय मौके ही साक्षी न बनाये जाने का यह स्पष्टीकरण इस साक्षी ने दिया है कि हर एक व्यक्ति गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता है, परन्तु ऐसी उपधारणा मानकर हर बार जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही बिना स्वतंत्र साक्षियों को तलब करे किया जाना न्याय संगत नहीं है। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) ने मौके पर किन स्वतंत्र साक्षियों को तलब करने का प्रयास किया तथा किनके द्वारा साक्षी बनने से मना करने पर प्रवीण साहू (अ0सा0-01) व सतपाल को जप्ती व गिरफ्तारी का गवाह बनाया गया, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया।
- 17- सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा थाने से रवानगी से लेकर मौक पर की गई कार्यवाही एवं वापसी के तक के समय का कोई उल्लेख अपने संपूर्ण कथनों में नहीं किया है तथा इस साक्षी के द्वारा यह तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुमान के आधार पर घटना दिन के समय की है अथवा रात्रि के समय की है। घटना का स्पष्ट रूप से कोई स्थान पर जहां पर जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई, वह भी जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-02 सहित मौखिक साक्ष्य में भी स्पष्ट नहीं किया गया।
- 18- प्रकरण में वापसी सान्हा नकल प्रदर्श-पी-04 अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी रुस्तम खलको (अ0सा0-02) से प्रदर्शित कराया गया हैं, जो कि बिना मूल सान्हा से मिलान के उपरांत प्रदर्शित हुआ है। जिससे उक्त दस्तावेज को मूल के विकल्प के रूप में नहीं पढा जा सकता हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी रुस्तम खलकों (अ0सा0-02) के द्वारा मात्र प्रदर्श-पी-04 पर अपने हस्ताक्षर होने से स्वीकार करने से प्रदर्श-पी-04 की अंतरवस्तु एवं मूल सान्हा में की गई प्रविष्टि प्रमाणित नहीं होती है। जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-02 प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-05 में कहीं भी रवानगी व वापसी सान्हा का उल्लेख नहीं है। जिससे सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा कब किस समय क्या कार्यवाही की गई, यह प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

- 19— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) का कहना है कि उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से धारदार धरियां जप्त किया गया था, किन साक्षियों के समक्ष उक्त कार्यवाही की गई, यह इस साक्षी ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया। वही जप्ती एक मात्र साक्षी प्रवीण साहू (अ0सा0-01) न सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के कथित किसी भी कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया। जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 में जप्तशुदा धरिया का कोई निश्चायक माप का उल्लेख नहीं किया गया और न ही सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि किस आधार पर व किस कारण से उनके द्वारा उक्त धरिया को मध्यप्रदेश राज्य के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित आकार का पाया गया।
- 20— प्रकरण में की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी की सत्यता का अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि जब मौके पर उक्त कार्यवाही सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा की गई थी, तो प्रकरण का कोई अपराध क्रमांक अस्तित्व में नहीं आया था क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-05 थाने पर आकर लेखबद्ध की गई थीं, परन्तु इसके बाद भी जप्ती प्रदर्श-पी-01 व प्रदर्श-पी-02 पर अपराध क्रमांक 202/12 अंकित है जो कि सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के अनुसार अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने बाद में अंकित किया है। जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक की हस्तलिपि तक सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) की नहीं है, जो वह स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है। न्यायालय के समक्ष इस साक्षी की साक्ष्य के दौरान प्रकरण में जप्तशुदा बताया गया धरिया जब आर्टिकल चिन्हित करने के लिये मंगाया गया, तो वह धारदार होना पाया ही नहीं गया, जबकि मध्यप्रदेश शासन के जारी की गई अधिसूचना में की परिधि में आने के लिये यह एक आवश्यक शर्त है।
- 21— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा मौके पर धरिया को कपड़े की थैली में शीलंबद नहीं किया गया, जो कि न्यायालय में मात्र जप्ती चिट लगा हुआ प्राप्त हुआ। परन्तु इसके बाद भी जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 पर नमूना शील अंकित की गई, जो कि स्वयं सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के अनुसार बाद में लगाई गई है। अतः जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक पर अपराध क्रमांक होना, उक्त दस्तावेज सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के हस्तलिपि में न होना, जप्तशुदा हथियार का कोई निश्चित माप का उल्लेख जप्ती पत्रक में न होना, बिना शीलंबद किये बाद में जप्तीपत्रक प्रदर्श-पी-01 में नमूनाशील अंकित किया जाना, मौके के स्वतंत्र साक्षियों को जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी न बनाया जाना, व जिन साक्षियों को जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी बनाया गया उनका अभियोजन के समर्थन में कथन न देना सहित जप्ती व गिरफ्तारी पर नये बस स्टेण्ड पर कोई निश्चित स्थान न दर्शाया जाना, जप्तशुदा धरिया धारदार न होना एवं स्वयं सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के कथन इस संबंध में स्पष्ट न होना कि किस स्थान पर कितने बजे किन साक्षियों के समक्ष उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई। प्रकरण में दर्शित जप्ती व

गिरफ्तारी की कार्यवाही को अपने आप में दूषित कर देता है।

- 22— सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उस श्रेणी के नहीं हैं, जिसके एक मात्र आधार पर अभियोजन घटना को एवं इस साक्षी के द्वारा कथित कार्यवाही को विश्वसनीय माना जा सकें। सहायक उपनिरीक्षक फूलचंद वाजपेई (अ0सा0-03) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर इस साक्षी के द्वारा की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा इस साक्षी की मौखिक साक्ष्य से जप्ती पत्रक प्रदर्श-पी-01 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-02 में उल्लेखित कार्यवाही संदेहस्पद प्रतीत होती है। जिसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
- 23— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि दिनांक 12.06.2012 को समय 22:10 बजे नया बस स्टेण्ड चंदेरी, जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।-बी दिनांक 22.11.74 द्वारा निषेधित एक लोहे की धारदार धारियां को अपने कब्जे में अवैध रूप से रखकर धारा-04 आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया।
- 24—फलतः अभियुक्त मलखान पुत्र इमरत परिहार भा.द.वि. की धारा-25 (1) (1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा-25 (1) (1-बी) बी आयुद्ध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 25— अभियुक्त धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा एक लोहे की धारिया को अपील अवधि के पश्चात् मूल्यहीन होने से तोड़मरोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

